संख्या- 690/2018/ 690/9-6-2018-181मिस/2014

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश (द्वारा जिलाधिकारी)।

नगर विकास अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक: 03 अप्रैल 2018

विषय:- नगर पंचायत को नगर पालिका परिषद के रूप में उच्चीकृत करने, नगर पालिका परिषद के गठन, नगर पालिका परिषद का सीमा विस्तार किये जाने तथा नगर पालिका परिषदों के वर्गीकरण हेतु मानकों का निर्धारण किया जाना।

महोदय

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2212/नौ-6-2014-181मिस/2014 दिनांक 10-11-2014 के द्वारा नगर पंचायत को नगर पालिका परिषद एवं नगर पालिका परिषद को उच्चीकृत करने अथवा निकायों की सीमावृद्वि करने के सम्बन्ध में मानकों का निर्धारण किया गया है। नगर पालिका परिषदों की आय एवं जनसंख्या के लिए जो मानक निर्धारित किये गये है, उनका विवरण निम्नवत है:-

नगर पालिका परिषदों की श्रेणी	निकाय की वार्षिक आय	निकाय की जनसंख्या	निकाय की जनसंख्या का घनत्व (प्रति वर्ग कि0मी0)
तृतीय श्रेणी	रू0 60 लाख से अधिक रू0 1.75 करोड तक।	1 लाख से अधिक तथा 1.50 लाख तक।	6266
द्वितीय श्रेणी	रू0 1.75 करोड से अधिक रू0 3.00 करोड तक।	1.50 लाख से अधिक तथा 2 लाख तक।	6266

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रथम श्रेणी	रू0 3.00 करोड से अधिक	2.00 लाख से अधिक तथा 05 लाख तक।	6266

2- बदलने शहरी परिदृष्टि, शहरी जनसंख्या में वृद्वि, निकायों पर बढते दबाव आदि के परिप्रेक्ष्य में नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के उददेश्य से सम्यक विचारोपरान्त प्रथम श्रेणी की नगर पालिका हेतु निर्धारण जनसंख्या के उपरोक्त मानक में आंशिक संशोधन करते हुए अब निम्नवत मानक निर्धारित किया जाता है :-

नगर पालिका परिषदों की श्रेणी	निकाय की वार्षिक आय	निकाय की जनसंख्या	निकाय की जनसंख्या का घनत्व (प्रति वर्ग कि0मी0)
तृतीय श्रेणी	रू0 60 लाख से अधिक रू0 1.75 करोड तक।	1 लाख से अधिक तथा 1.50 लाख तक।	6266
द्वितीय श्रेणी	रू0 1.75 करोड से अधिक रू0 3.00 करोड तक।	1.50 लाख से अधिक तथा 2 लाख तक।	6266
प्रथम श्रेणी	रू0 3.00 करोड से अधिक	2.00 लाख से अधिक तथा 03 लाख तक।	6266

3- शासनादेश संख्या-2212/नौ-6-2014-181मिस/2014 दिनांक 10-11-2014 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। उक्त शासनादेश की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

4- यहॉ यह भी स्पष्ट करना है कि प्रदेश में नगर निगमों की स्थापना अथवा नगर पालिका परिषद से नगर निगम बनाये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट दिशा निर्देश न होने के दृष्टिगत नये नगर निगमों की स्थापना उच्चीकरण तथा सीमा विस्तार करने के सम्बन्ध में निम्न दिशा-निर्देशों के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी :-

नवीन नगर निगमों के गठन के मापदण्ड :-

(1) प्रस्तावित क्षेत्र के 75 प्रतिशत या उससे अधिक व्यक्तियों का गैर कृषि कार्यो में नियोजित होना।

(2) प्रस्तावित क्षेत्र में सडक यातायात का सुदृढ होना।

(3) प्रस्तावित क्षेत्र में शहरीकरण के गुण परिलिक्षित होना यथा-पुलिस थाना व्यावसायिक केन्द्र विद्यालय एवं अन्य शिक्षण संस्थानों का स्तर स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वासथ्य सुविधाओं की स्थिति/अस्पताल, विद्युत व्यवस्था, विभिन्न

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

बैंकों की शाखाओं का होना, डाकघर, सार्वजनिक शौचालय, परिवहन व्यवस्था आदि की स्थिति अच्छी होनी चाहिए।

(4) नगर निगम के अधिनियम-1959 की धारा-6 क के अनुसार 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र।

5- यदि उपरोक्त प्रस्तर-4 में उल्लिखित शर्तों/मापदण्डों को प्रस्तावित नगर निगम के गठन के लिये पूर्ण किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में निम्नलिखित बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए निकाय के बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव अथवा मण्डलायुक्त की संस्तुति सहित सुस्पष्ट प्रस्ताव शासन के विचारार्थ उपलब्ध कराया जायेगा :-

(1) प्रस्तावित क्षेत्र की विगत जनगणना के ऑकड़ों के अनुसार जनसंख्या।
(2) प्रस्तावित क्षेत्र की विगत जनगणना के ऑकड़ों के अनुसार जनसंख्या का घनत्व ।
(3) नगर निगम के सृजन के फलस्वरूप आय तथा व्यय में कितनी वृद्धि होगी।
(4) सम्बन्धित क्षेत्र के विगत 03 वर्षों के आय तथा व्यय के ऑकड़ों का पूर्ण विवरण।
(5) प्रस्तावित क्षेत्र में कौन-कौन से शहरी गुण विद्यमान हैं।
(6) नगर निगम के सृजन से उक्त क्षेत्र के निवासियों को कौन-कौन सुविधाएं प्राप्त होंगी।
(7) प्रस्तावित नगर निगम में कितना कृषि क्षेत्र पड़ता है।
(8) प्रस्तावित क्षेत्र की कुल आबादी के कितने प्रतिशत लोगों का जीवन-यापन कृषि पर आधारित है तथा कितने प्रतिशत अन्य व्यवसाय के लोग है।
(9) प्रस्तावित क्षेत्र में यदि कोई राज्य मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा उसका बाईपास पड़ता हो तो उसके रखरखाव की वचनबद्धता ।
(10) प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाली लोक निहित सम्पत्ति की क्या व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
(11) प्रस्तावित नगर निगम क्षेत्र का एक सम्यक् मानचित्र, जिसमें सम्मिलित होने वाले ग्रामों/मजरों को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो तथा लाल रेखा से सीमा प्रदर्शित करते हुए सीमा रेखा से अन्दर की ओर सटी हुई गाटा संख्याओं को भी अंकित किया जाय।
(12) मानचित्र के अनुरूप ही सीमा निर्धारण हेतु सीमा रेखा से अन्दर की ओर सटी हुई गाटा संख्याओं का दिशावार विवरण (पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हिन्दी तथा अंग्रेजी में पृथक पृथक तीन-तीन प्रतियों में उपलब्ध करायी जाय। सीमा विवरण में दिशा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वार गाटा संख्याओं के समक्ष उनसे सम्बन्धित ग्राम / मजरा के नाम का भी उल्लेख किया जाय।

6- **नगर पालिका परिषद से नगर निगम के रूप में उच्चीकरण तथा नगर निगम की सीमा विस्तार हेतु मापदण्ड :-**

नगर पालिका परिषद से नगर निगम के रूप में उच्चीकरण तथा नगर निगम की सीमा विस्तार के लिये उपरोक्त प्रस्तर-4 व 5 में निर्धारित मापदण्ड पूर्ण किये जाने के उपरांत निम्नलिखित बिन्दुओं पर स्पष्ट प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाये :-

1. नाम- उच्चीकरण/सीमा विस्तार किये जाने वाले सम्बन्धित निकाय का नाम ।
2. उद्देश्य-उच्चीकरण/सीमा विस्तार किये जाने का उद्देश्य ।
3. सम्मिलित किया जाने वाला क्षेत्र-कृषि क्षेत्र है अथवा अकृषि क्षेत्र।
4. सम्मिलित किये जाने वाला क्षेत्र (क) आबादी वाला है अथवा गैर आबादी वाला तथा (ख) उसका क्षेत्रफल कितना है ।
5. प्रस्तावित क्षेत्र की शहरीकरण की प्रवृत्ति / लक्षण उत्पन्न हो गये हैं अथवा नहीं।
6. वर्ष-2011 की जनगणना के अनुसार- (क) वर्तमान क्षेत्र की आबादी (ख) प्रस्तावित क्षेत्र की आबादी (ग) प्रभावित क्षेत्र की जनसंख्या का घनत्व का विवरण।
7. सीमा वृद्धि/उच्चीकरण किये जाने से निकाय की वार्षिक आय में संभावित वृद्धि।
8. सीमा वृद्धि/उच्चीकरण किये जाने से निकाय की वार्षिक व्यय में संभावित वृद्धि।
9. सीमा/सीमा वृद्धि को प्रदर्शित करने वाली सूची (हिन्दी व अंग्रेजी तीन प्रतियों में संलग्न की जाय) (इस प्रकार परिभाषित की जाय कि सीमा नगर पालिका परिषद/ नगर निगम की वर्तमान सीमा के किस बिन्दु से प्रारम्भ हो कर किधर-किधर जाती हुई मुड़ती हुई सीमा से लगे किन किन खसरा नंम्बरों को सीमा में मिलाती हुई पुनः नगर पालिका परिषद/नगर निगम की सीमा में कहाँ पर मिलेगी) (प्रत्येक दिशा की सीमा उपरोक्तानुसार परिभाषित की जाय तथा जिस दिशा की सीमा परिभाषित की जाय उसके नीचे टिप्पणी में यह बताया जाय कि उपर्युक्त परिभाषित सीमा के अन्दर कौन कौन से गाँव व उन गॉव के कौन-कौन से खसरा नम्बर शामिल हैं। खसरा नम्बरों को क्रमवार बताया जाय)
10. प्रस्तावित क्षेत्र में यदि राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है तो निकाय द्वारा उसके दायित्व के निर्वहन करने की वचनबद्धता ।
11. विस्तारित / उच्चीकृत किये जाने वाले क्षेत्र का मानचित्र (वर्तमान व प्रस्तावित क्षेत्र को अलग- अलग रंगों में दर्शाया जाय ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

12. नगर पालिका परिषद् का नगर निगम में उच्चीकरण तथा नगर निगम का सीमा विस्तार करने हेतु निकाय के बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव अथवा मण्डलायुक्त की संस्तुति।

7- अतः उपर्युक्त के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार निर्धारित नए मापदण्डों के अनुसार समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराते हुए प्रस्ताव शासन के विचारार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 690(1)/9-6-2018 तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(1) निजी सचिव मा0 मंत्री जी/मा० राज्य मंत्री जी नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
(2) स्टॉफ आफिसर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
(3) समस्त अध्यक्ष नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत उत्तर प्रदेश द्वारा (जिलाधिकारी)।
(4) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन ।
(5) समस्त नगर आयुक्त नगर निगम उत्तर प्रदेश।
(6) निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
(7) नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग/गंगा सेल ।
(8) कम्प्यूटर सेल नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर लोड करने हेतु।
(9) गार्ड बुक ।

आज्ञा से

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।